मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 854/2017/एफ/म.ब.वि भोपाल दिनांक 24/8/17

प्रति,

1 **जिला कार्यक्रम अधिकारी**
जिला–समस्त,
म0प्र0।

2. **जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी,**
जिला–समस्त,
म0प्र0।

विषय :– किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत् संचालित बाल देखरेख संस्था में निवासरत बच्चों के आधार कार्ड बनवाये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय महिला सशक्तिकरण का पत्र क्रमांक 346 दिनांक 01.03.2014, 860 दिनांक 12.09.2016 ,868 दिनांक 15.09.2016, 140 दिनांक 03.03.2017 एवं 369 दिनांक 17.05.2017।

संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो जिसके माध्यम से किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत् जिले में संचालित समस्त बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत में बच्चों का अधार पंजीयन करवाये जाने के निर्देश दिये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक मात्र 50 प्रतिशत बच्चों का ही आधार पंजीयन हो सका है।

2/ जिले में संचालित विभिन्न बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों के आधार पंजीयन नही होने के कारण इन बच्चों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाया जाना संभव नही हो पा रहा है।

3/ किशोर न्याय अधिनियम के तहत् पंजीकृत संस्थाओं में निवासरत समस्त बच्चों के अनिवार्य रूप से आधार पंजीयन कार्य की मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। मान. मंत्रीजी महिला एवं बाल विकास द्वारा दिनांक 24.07.2017 को की गई समीक्षा बैठक में भी बाल देखरेख संस्था में निवासरत समस्त बच्चों के आधार पंजीयन का कार्य अनिवार्य रूप से 15 दिवस में सम्पन्न कर लिये जाने के निर्देश दिये गये है।